

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

मीरजापुर।

पत्रांक: आईजीआरएस-05/2025

दिनांक: मई 23, 2025

सेवा में,

लोक शिकायत अनुभाग-3

(मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय)

उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त पी0जी0 पोर्टल (भारत सरकार) सन्दर्भ संख्या: 60000250093738 दिनांक 30-04-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आवेदक श्री शिवम गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी लोहदी रोड ककरहवा, मीरजापुर हालपता दुबार कला थाना लालगंज, जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र पर जाँच/कार्यवाही कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि आवेदक श्री शिवम गुप्ता उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जाँच क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद मीरजापुर द्वारा करायी गयी। जाँच अधिकारी की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

*Mishra*  
23/5  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जनपद मीरजापुर।

01 जनता द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र का जांच प्रारूप

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद मीरजापुर।

सन्दर्भ संख्या की जाँच आख्या - 60000250093738

01- आवेदक शिकायतकर्ता का नाम/पिता का नाम पता व मो0नं0- श्री शिवम गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी लोहंदी रोड ककरहवा थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर मो0नं0- 8756521496

02 - विपक्षी का नाम पता- विकास बिन्द पुत्र श्याम बिहारी आदि निवासीगण लोहंदी रोड ककरहवा थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर।

03 - शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत का संक्षिप्त विवरण:- विपक्षीगणों द्वारा आवेदक के साथ गाली गलौज करते हुये मारने पीटने के सम्बन्ध में कतिपय आरोप अंकित किये गये है।

04 - जाँच करने वाले अधिकारी का नाम व पद:- विवेक जावला क्षेत्राधिकारी नगर जनपद मीरजापुरा मो0नं0- 9454401590

05- जाँच का सारांश:- संदर्भित प्रकरण की गहराई से जाँच की गयी तथा अभिलेखीय अवलोकन से पाया गया कि आवेदक/वादी शिवम गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी लोहंदी रोड ककरहवा, थाना कोतवाली कटरा, जनपद मीरजापुर, का निवासी है। प्रकरण के संबंध में आवेदक से वार्ता किया गया तो बताया गया कि मेरे प्रकरण में थाना कोतवाली कटरा पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जिसकी विवेचना चल रही है।

जांच के मध्य थाना कोतवाली कटरा के अभिलेखीय अवलोकन से पाया गया कि विपक्षीगणों द्वारा आवेदक के साथ गाली गलौज करते हुये मार पीट की गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक शिवम गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी लोहंदी रोड ककरहवा थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय कोतवाली कटरा पर दिनांक 08.03.2025 को मु0अ0सं0 58/2025 धारा 115(2), 351(2), 352 बीएनएस बनाम 1. विकास बिन्द पुत्र श्याम बिहारी 2. ओमप्रकाश पुत्र उमाशंकर बिन्द 3. दिलीप बिन्द पुत्र राजकुमार 4. कल्लू बिन्द पुत्र उमाशंकर बिन्द निवासीगण लोहंदी रोड ककरहवा थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। जिसकी विवेचना उ0नि0 शशिमोहन राय थाना कोतवाली कटरा द्वारा सम्पादित की गयी है। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान विवेचक द्वारा अभियोग उपरोक्त में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त 1. विकास बिन्द पुत्र श्याम बिहारी 2. ओमप्रकाश पुत्र उमाशंकर बिन्द 3. दिलीप बिन्द पुत्र राजकुमार 4. कल्लू बिन्द पुत्र उमाशंकर बिन्द निवासीगण लोहंदी रोड ककरहवा थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या ए-88/25 दिनांक 17.05.2025 को मा0 न्यायालय चालान किया गया है। अभियोग उपरोक्त में कोई विवेचनात्मक कार्यवाही शेष नहीं है।

जांच आख्या सादर अवलोकनार्थ सेवा मे प्रेषित है।


06 - कार्यवाही का विवरण/प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण:- उपरोक्तानुसार

07 - आरोप सिद्ध हो रहे हैं या नहीं- निल

08 - अन्य कोई आवश्यक तथ्य हो तो उसका विवरण - निल

दिनांक- मई ,2025

(विवेक जावला)  
क्षेत्राधिकारी नगर  
मीरजापुर।



f.